न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)
बईजलास श्रीमती शुभम चौधरी, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 135/2020

प्रार्थी

श्रीमती मेवादेवी पत्नि श्री देवाराम जाति गरासिया निवासी हाल इन्द्रा कॉलोनी सरूपगंज तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. श्री पुखराज पुत्र श्री रूपाजी जाति मोची निवासी इन्द्रा कॉलोनी सरूपगंज तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. सरपंच ग्राम पंचायत भावरी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थितिः–

1. श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री दिनेश कुमार सुराणा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या एक की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 27.03.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना–पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत सरपंच ग्राम पंचायत, भावरी द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के हक में जारी किया गया पट्टा संख्या 36 दिनांक 05.12.1975 क्षेत्रफल 1350 वर्गफुट को निरस्त कराने हेतु इस बिनाय पर प्रस्तुत किया कि उक्त पट्टा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 267 के तहत जारी किया गया है, जो विधिविरूद्ध है।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या एक की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार सुराणा ने जरिये वकालतनामा के उपस्थिति दी। प्रकरण मे दोनो पक्षों की विरत्तृत बहस सुनी गई ।

प्रार्थी की ओर से उनके लायक अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–प[illegible]त तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि पंच[illegible] नियमो के विपरित पट्टा संख्या 36 दिनांक 05.12.1975 [illegible]350 वर्ग[illegible] जारी किया है। प्रार्थी अधिवक्ता ने कथन किया है कि गांव स[illegible] गुलाम अब्बास पु[illegible]अकबर अली वारो की कब्जा भोगवटा [illegible] भूमि से लगते आई[illegible], जिसे गुलाम अब्बास ने ग्राम पंचायत भावरी से रूपए 17,668.75 की नीलामी में खरीद की थी, जिसके 1200/– रूपए तत्समय जमा करा दिए थे, जिसकी मिसल ग्राम पंचायत भावरी में 1/1962 में दर्ज की थी एवं उसके पश्चात ग्राम पंचायत द्वारा मांग करने पर शेष रकम भी गुलाम अब्बास द्वारा जमा करा दी थी एवं श्री गुलाम अब्बास को पैसों की

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2024.05.28 16:24:49 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

आवश्यकता होने से उक्त भूखण्ड का एक बेचान लिखत श्री अम्बालाल पुत्र मुन्नालाल एवं श्री रूपनारायण पुत्र श्री अम्बालाल के पक्ष में कर दिया एवं ग्राम पंचायत भावरी को एक पत्र प्रस्तुत कर आयन्दा उक्त भूखण्ड का पट्टा अम्बालाल पुत्र श्री मुन्नालाल व श्री रूपनारायण पुत्र श्री अम्बालाल के पक्ष में जारी करने का निवेदन किया। उसके पश्चात ग्राम पंचायत भावरी ने दिनांक 27.07.1983 को उक्त भूमि पर अवैध कब्जा मानते हुए श्री अम्बालाल व श्री रूपनारायण को नोटिस जारी किया तथा इनके विरूद्ध एक पक्षीय निर्णय पारित किया, जिसके विरूद्ध इन्होनें विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा में अपील प्रस्तुत की, जिस पर सुनवाई कर श्री अम्बालाल व श्री रूपनारायण की अपील स्वीकार कर ग्राम पंचायत भावरी को आदेश दिया कि अपीलांट की कब्जेशुदा भूमि एवं भोगवटे के आधार पर वर्णित भूमि को नियमानुसार नियमित करते हुए नियम 266 के तहत भूमि विक्रय की राशि जमा कर पट्टा जारी करने की कार्यवाही नियमानुसार करें। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि पर सन् 1962 से कब्जा गुलाम अब्बास व उसके पश्चात से श्री अम्बालाल व श्री रूपनारायण का चला आ रहा है। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड 125×110 कुल 13750 वर्गफीट को प्रार्थिया ने दिनांक 11.10.2016 को जरिए विक्रय इकरारनामा के श्री अम्बालाल पुत्र श्री मुन्नालाल से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया, उसके पश्चात उक्त भूखण्ड पर प्रार्थिया ने पत्थर डलवाना शुरू किया, तब अप्रार्थी संख्या एक ने इस सम्बन्ध में आपत्ति प्रस्तुत की एवं उसे बताया कि इसका पट्टा ग्राम पंचायत भावरी द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के पक्ष में जारी किया हुआ है तथा कार्य में रूकावट डालने लगा। यह है कि प्रार्थिया ने इसकी शिकायत पुलिस थाना सरूपगंज एवं पुलिस अधीक्षक सिरोही को की, जिन्होनें मुकदमा दर्ज नहीं किया, जिस पर प्रार्थिया ने अप्रार्थी व अन्य पट्टेधारियों के विरूद्ध एक इस्तगासा अन्तर्गत धारा 467, 468, 471, 120बी भारतीय दण्ड संहिता के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिण्डवाडा के समक्ष प्रस्तुत किया, जो न्यायालय द्वारा धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत जांच हेतु पुलिस थाना सरूपगंज को भेजा गया, जिन्होनें दौराने अनुसंधान इन पट्टों के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत भावरी से रेकर्ड प्राप्त किया। ग्राम पंचायत भावरी ने अनुसंधान अधिकारी को यह अवगत करवाया गया कि इन्द्रा कॉलोनी में 125×110 कुल 13750 वर्गफीट भूमि खाली भूखण्ड के रूप में पडी हुई है तथा इसका कोई पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी नहीं किया गया है तथा ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा संख्या 33, 35, व 36 अन्य स्थान के पट्टे है तथा उनमें से पट्टा संख्या 36 श्री दामा पुत्र श्री चेनाजी के नाम से दिनांक 05.12.1975 को व पट्टा संख्या 35 श्री सालिगराम पुत्र श्री बाबूलाल के नाम से दिनांक 05.12.1975 को व पट्टा संख्या 33 श्री चेनाराम पुत्र श्री गमनाजी के नाम से दिनांक 05.12.1975 को जारी किए गए है एवं उसके साथ मौका फर्द दिनांक 10.12.2016 की बनाई, जिस पर उक्त भूखण्ड श्री अम्बालाल पुत्र श्री मुन्नालाल अग्रवाल का होने का हवाला दिया, जिस पर बाद अनुसंधान पुलिस थाना सरूपगंज द्वारा श्री पुखराज पुत्र श्री रूपाराम मोची व श्री लक्ष्मण पुत्र श्री धरमाजी हीरागर तथा बफौत मुलजिम श्रीमती अनुदेवी पत्नि श्री नरसाजी व श्रीमती हंजादेवी पत्नि श्री धरमाजी सरगडा के विरूद्ध कूटरचित दस्तावेज तैयार करने का मामला पाए जाने पर अप्रार्थी संख्या एक श्री लक्ष्मण व अन्य पट्टाधारी श्री पुखराज पुत्र श्री रूपाजी मोची के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 420, 467, 471, 120बी को प्रमाणित मानते हुए चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की, जहां मुकदमा संख्या 392/2017 पर दर्ज रजिस्टर होकर लम्बित है। इस प्रकार यह पूर्णतया प्रमाणित है कि अप्रार्थी संख्या एक ने कूटरचना कर उक्त पट्टा प्राप्त किया है जो निरस्त किए जाने योग्य है। यह है कि प्रार्थिया द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध मुकदमा दर्ज करवाने के पश्चात श्री लक्ष्मण पुत्र श्री धरमाजी की ओर भी प्रार्थिया व उसके पति के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 379, 447, 427 भादस के तहत परिवाद प्रस्तुत किया था, जिसे भी न्यायालय द्वारा अनुसंधान हेतु पुलिस थाना सरूपगंज को प्रेषित किया, जिस पर पुलिस थाना सरूपगंज की ओर से अनुसंधान कर अदम वकु झूठ का मामला मानते हुए एवं वादग्रस्त सम्पत्ति प्रार्थिया द्वारा क्रय कर उस पर प्रार्थिया का कब्जा पत्थर व ट्रेक्टर ट्रॉली खडी होना मानते हुए एफआर प्रस्तुत की, जिससे यह पूर्णतया प्रमाणित है कि वादग्रस्त सम्पत्ति से अप्रार्थी संख्या एक का किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। यह है कि उक्त पट्टे के कॉलम संख्या आठ में यह स्पष्ट

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2024.05.28 16:24:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रावधान है कि भूमि पर आवंटन के दो वर्ष के अन्दर मकान या झोंपडा बनवाना अनिवार्य है और यदि इस अवधि में कार्य नहीं किया गया तो भूखण्ड वापस लेने का अधिकार आवंटन अधिकारी को होगा एवं विशेष कारण बताने पर ही आवंटन अधिकारी दो वर्ष से अधिक समय की वृद्धि भी कर सकता है, लेकिन पुलिस अनुसंधान एवं सभी दस्तावेजात से यह पूर्णतया प्रमाणित है कि उक्त भूखण्ड पर किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कार्य किया हुआ नहीं है, जिससे भी उक्त पट्टा स्वतः ही निरस्त हो चुका है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि ग्राम पंचायत, भावरी द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के हक में जारी पट्टा संख्या 36 दिनांक 05.12.1975 क्षेत्रफल 1350 वर्गफुट को निरस्त करना फरमावें।

अप्रार्थी संख्या एक की ओर से उनके लायक अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार सुराणा द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान इस निगरानी मे प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि पंचायत द्वारा प्रस्ताव लेकर अप्रार्थी संख्या एक को राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 267 के तहत पट्टा जारी किया गया है जो नियमानुसार सही है। यह है कि ग्राम सरूपगंज में गुलाम अब्बास पुत्र श्री अकबर अली वोरा के पट्टेशुदा भूमि से लगती भूमि उनके कब्जे भोगवटे की होना सर्वथा असत्य, मनगढ़न्त एवं बनावटी है और न ही गुलाम अब्बास द्वारा इसे ग्राम पंचायत भावरी से क्रय किया गया था। प्रार्थिया द्वारा सर्वथा अस्पष्ट एवं भ्रामक कथन प्रस्तुत किए गए है, जबकि प्रार्थिया का अप्रार्थी संख्या एक की पट्टेशुदा भूमि से कोई लेना देना नहीं है। उक्त पट्टेशुदा भूखण्ड अप्रार्थी संख्या एक के कब्जे स्वामित्व का है, जिस पर पट्टा जारी होने के पश्चात अप्रार्थी संख्या एक ने कच्चे मकान का निर्माण करवाया है एवं उसमें अप्रार्थी संख्या एक का आवास रहा है। प्रार्थिया को अप्रार्थी संख्या एक के पट्टेशुदा भूखण्ड पर पत्थर डलवाने का एवं अप्रार्थी संख्या एक के कब्जे आधिपत्य में दखलन्दाजी पैदा करने या करवाने का कोई अधिकार नहीं है। यह है कि सन् 1975 में गरीब अनुसूचित जाति, जनजाति व श्रमिकों तथा कारीगरों को आबादी भूमि के पट्टे जारी करने की योजना बनी थी, जिसके अन्तर्गत जिला कलक्टर द्वारा नियुक्त प्रभारी अधिकारी द्वारा अभियान जारी कर गरीब अनुसूचित जाति, जनजाति व श्रमिक तथा कारीगरों को निःशुल्क भूखण्ड के पट्टे जारी किए गए थे, जिसमें अप्रार्थी संख्या एक को उक्त भूखण्ड का कब्जा आंवटन अधिकारी द्वारा सुपूर्द किया गया था और तब से ही उक्त भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या एक का बतौर स्वामी कब्जा अधिपत्य रहा है। यह है कि प्रार्थिया का पति वन विभाग में वनपाल के पद पर नियुक्त रहा है एवं वह गरीब अनुसूचित जाति, जनजाति के व्यक्तियों की भूमि पर कब्जा करने का आदि है। अप्रार्थी संख्या एक ने प्रार्थिया के विरूद्ध सिविल न्यायालय पिण्डवाडा में स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति का वाद प्रस्तुत किया है तथा साथ में स्थगन आवेदन भी प्रस्तुत किया है, जिस पर स्थगन आदेश प्राप्त किया है एवं प्रार्थिया द्वारा उक्त स्थगन आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई, वह अपील भी खारिज हुई है। प्रार्थिया ने जो जमीन श्री अम्बालाल की दर्शाई है वह भूमि रोहिडा रोड पर नहीं है। यह है कि प्रार्थिया व उसका पति प्रभावशाली है एवं इनके पुलिस से मेल मिलाप कर मुकदमें में गलत रूप से एफआर प्रस्तुत करवाई गई है एवं पुलिस अनुसंधान अविश्वसनीय है और पुलिस अनुसंधान के आधार पर प्रार्थिया इस प्रकरण में कोई राहत प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। अप्रार्थी संख्या एक प्रश्नगत भूमि पर सन् 1975 में झोंपडा बना कर निवास रहता था एवं उसमें मवेशी बांधता था। यह है कि पट्टे से सम्बन्धित रिकॉर्ड [illegible] का दायित्व ग्राम पंचायत का है एवं ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में पट्टे का [illegible] होने मात्र से पट्टा अवैध नहीं होता है। यदि पट्टे का रेकर्ड [illegible] विभाग द्वारा नहीं रखा गया है तो उसमें अप्रार्थी संख्या एक [illegible] लापरवाही नहीं रही है। प्रार्थिया का यह निगरानी आ[illegible] पट्टा जारी हुए करीब 46 वर्ष हो चुके है एवं प्रार्थिया ने युक्तियुक्त समय में निगरानी प्रस्तुत नहीं की है। प्रार्थिया ने केवल मात्र अप्रार्थी संख्या एक को हैरान परेशान करने की नियत से यह निगरानी प्रस्तुत की है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र को खारिज करना फरमायें।

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2024.05.28 16:24:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया । प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं अप्रार्थी संख्या एक के अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं पत्रावली का भलिभॉति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष निम्न प्रकार है :–

अप्रार्थी संख्या एक को उक्त विवादग्रस्त पट्टा संख्या 36 दिनांक 05.12.1975 क्षेत्रफल 1350 वर्गफीट ग्राम पंचायत, भावरी द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 267 के तहत जारी किया गया है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि गांव सरूपगंज में इन्द्रा कॉलोनी में गुलाम अब्बास पुत्र श्री अकबर अली वारो की कब्जा भोगवटा की भूमि उसके पट्टेशुदा भूमि से लगते हुए आई हुई थी, जिसे गुलाम अब्बास ने ग्राम पंचायत भावरी से रूपए 17,668.75/– की नीलामी में खरीद की थी, जिसके 1200/– रूपए तत्समय जमा करा दिए थे, जिसकी मिसल ग्राम पंचायत भावरी में 1/1962 में दर्ज की थी एवं उसके पश्चात ग्राम पंचायत द्वारा मांग करने पर शेष राशि भी गुलाम अब्बास द्वारा जमा करा दी गई थी। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने इस कथन के समर्थन में किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है और न ही प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा श्री गुलाम अब्बास द्वारा नीलामी के वक्त जमा कराई गई राशि की रसीद एवं बाद में ग्राम पंचायत द्वारा मांग करने पर शेष राशि जमा कराने की रसीद प्रस्तुत की है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि ग्राम पंचायत भावरी द्वारा दिनांक 27.07.1983 को अवैध कब्जा मानते हुए श्री अम्बालाल व श्री रूपनारायण को नोटिस जारी किया तथा इनके विरूद्ध एक पक्षीय निर्णय पारित किया, जिसके विरूद्ध इन्होंने विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा में अपील प्रस्तुत की, जिस पर सुनवाई की जाकर श्री अम्बालाल व श्री रूपनारायण की अपील स्वीकार कर ग्राम पंचायत भावरी को आदेशित किया गया कि अपीलांट की कब्जेशुदा भूमि एवं भोगवटे के आधार पर वर्णित भूमि को नियमानुसार नियमित करते हुए नियम 266 के तहत भूमि विक्रय की राशि जमा कर पट्टा जारी करने की कार्यवाही नियमानुसार करें, परन्तु उक्त अपील में दिए गए आदेश की पालना में ग्राम पंचायत भावरी द्वारा नियम 266 के तहत भूमि विक्रय की राशि जमा कर जारी पट्टा पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है और न ही इस सम्बन्ध में प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा किसी भी प्रकार का कोई कथन किया गया है कि ग्राम पंचायत भावरी द्वारा नियम 266 के तहत पट्टा जारी किया गया है अथवा नहीं। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि उक्त वादग्रस्त भूखण्ड पर प्रार्थिया द्वारा पत्थर डालने पर अप्रार्थी संख्या एक द्वारा बाधा उत्पन्न करने पर प्रार्थिया ने पुलिस थाना सरूपगंज में जरिए न्यायालय इस्तगासा अन्तर्गत धारा 467, 468, 471, 120बी भारतीय दण्ड संहिता के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिण्डवाडा के समक्ष प्रस्तुत किया, जो न्यायालय द्वारा धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत जांच हेतु पुलिस थाना सरूपगंज को भेजा गया। पुलिस अनुसंधान में ग्राम पंचायत भावरी द्वारा यह लिखित दस्तावेज पेश किया है कि ग्राम पंचायत भावरी द्वारा जारी पट्टा संख्या 33, 35 व 36 दिनांक 05.12.1975 इन्द्रा कॉलोनी के नहीं होकर ग्राम पंचायत भावरी के अन्यत्र स्थानों पर स्थित है, जिन पर अन्य लोग काबिज है एवं यह भी व्यक्त किया है कि पट्टा संख्या 33 श्री चेनाराम पुत्र श्री [illegible] दिनांक 05.12.1975 को व पट्टा संख्या 35 श्री सालिगराम पुत्र श्री बाबूलाल के [illegible] दिनांक 05.12.1975 को एवं पट्टा संख्या 36 श्री दाना पुत्र श्री [illegible] 05.12.1975 को जारी किए गए है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2024.05.28 16:24:49 IST
Reason: SelfAttested

चूंकि ग्राम पंचायत भावरी द्वारा अपने पत्र [illegible]/विविध/2016–17/592 दिनांक 09.12.2016 के द्वारा यह व्यक्त किया है कि पट्टा संख्या 33 दिनांक 05.12.1975 श्री चेनाराम पुत्र श्री गमनाजी के नाम से व पट्टा संख्या 35 दिनांक 05.12.1975 श्री सालिगराम पुत्र श्री बाबूलाल के नाम से एवं पट्टा संख्या 36 दिनांक 05.12.1975 श्री दाना पुत्र श्री चेनाजी के नाम से जारी किए गए है एवं ग्राम पंचायत भावरी के द्वारा ही

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

जरिए पत्र क्रमांक/विविध/2016–17/593 दिनांक 09.12.2016 के द्वारा यह भी व्यक्त किया है कि पट्टा संख्या 33, 35 व 36 दिनांक 05.12.1975 इन्द्रा कॉलोनी के नहीं होकर ग्राम पंचायत भावरी के अन्यत्र स्थानों पर स्थित है, जिन पर अन्य लोग काबिज है। अतः ग्राम पंचायत भावरी के उपरोक्त वर्णित पत्रों के आधार पर पट्टा संख्या 36 दिनांक 05.12.1975 अप्रार्थी संख्या एक के नाम से जारी होना नहीं पाया जाता है, जिससे प्रकरण प्रथम दृष्टया कूट रचित दस्तावेजों से सम्बन्धित होना प्रतीत होता है एवं उक्त पट्टों का कूटरचित होने के सम्बन्ध में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य वाद सिविल न्यायालय में पहले से ही विचाराधीन है। अतः कूटरचित दस्तावेजों से सम्बन्धित वाद सिविल न्यायालय से निर्णित होने से पूर्व इस प्रकरण में निर्णय पारित किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है एवं निर्णय पारित किए जाने से प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के सुखाधिकारों का हनन होने की भी संभावना है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही (राज०)

(शुभम चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2024.05.28 16:24:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner